दिनांक–11.06.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

परियोजनाओं की समीक्षा :–

- बांका जिला में निर्माणाधीन 630 क्षमता के अटल कला भवन के निर्माण कार्य में विलंब के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थल पर मद्य निषेध कार्यालय द्वारा काफी संख्या में गाड़ियों को रखा गया था, जिसे हटाने एवं पुराने भवन को खाली कराने में समय लगा। इस कारण निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारंभ कराया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति में है, जो दिनांक 30.10.2026 तक पूर्ण करा दिया जाएगा।

  निदेश दिया गया की बताये गये समय–सीमा के अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जाय।

  अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बांका

- सीवान जिला में निर्माणाधीन 630 क्षमता के अटल कला भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य समय पर चल रहा है एवं आवंटन की आवश्यकता है।

  निदेश दिया गया कि आवंटन उपलब्ध कराया जाय।

  अनुपालनः–अवर सचिव (बजट)

- अरवेल जिला में निर्माणाधीन 630 क्षमता के अटल कला भवन के निर्माण कार्य संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर पेड़ है। पेड़ हटाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर वन विभाग को भेजा गया है। साथ ही साईट प्लान अनुमोदन हेतु प्रशासी विभाग को भेजा गया है, जो अभीतक अप्राप्त है।

  प्रशासी विभाग को निदेश दिया गया की जल्द–से–जल्द साईट प्लान अनुमोदित करने की कारवाई की जाय।

  अनुपालनः–प्रशासी विभाग

- शिवहर जिला में निर्माणाधीन 620 क्षमता के अटल कला भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल अप्राप्त है। नई जमीन उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिया गया है।

  प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि अगले 3 से 4 दिनों में भूमि उपलब्ध करा दी जायगी।

  अनुपालनः–प्रशासी विभाग / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, शिवहर

- नालन्दा जिला में निर्माणाधीन 620 क्षमता के अटल कला भवन के निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि स्थल अनुपयुक्त है। उक्त स्थल पर 20 से 25 फीट गड्ढ़ा है।

  मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया है कि इस संबंध में कार्यपालक अभियंता से बात कर आवश्यक कार्रवाई करें।

  अनुपालनः–मुख्य अभियंता (पटना) / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, नालन्दा

- चिरांद (सारण) का संरक्षण / सौंदर्यीकरण के संबंध में निदेश दिया गया कि उत्खनन स्थल के संधारण एवं सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाय ताकि निर्माण के उपरांत पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके और आने वाले पर्यटक सुविधाजनक तरीके से स्थल का भ्रमण कर सकें। मुख्य वास्तुविद् द्वारा सुझाव दिया गया कि इस कार्य हेतु विशेषज्ञ परामर्शी की आवश्यकता होगी।

  निदेश दिया गया कि परामर्शी चयन की प्रक्रिया की जाय तथा स्थल के विकास की परियोजना तैयार की जाय।

  अनुपालनः–मुख्य वास्तुविद्

- शिव मंदिर, डुमरिया के संरक्षण एवं चहारदिवारी के संबंध में निदेशित किया गया कि तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को भेजी जाय।

  अनुपालन :–मुख्य अभियंता, उत्तर।

- नेपाली मंदिर, हाजीपुर का संरक्षण/सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि संरक्षण कार्य के लिए अलग प्राक्कलन तथा विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए अलग प्राक्कलन तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– मुख्य अभियंता, उत्तर

- भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना संरक्षण/सौंदर्यीकरण विद्युत कार्य के समीक्षोपरांत निदेशित किया गया कि इस कार्य हेतु पुनः प्राक्कलन तैयार कर प्रशासी विभाग को भेजा जाय।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता, पटना

- बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय, जगदीशपुर (भोजपुर) के भवन के जीर्णोद्धार कार्य हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा एक प्रस्ताव कला एवं संस्कृति विभाग को भेजा गया है, जिसे समीक्षा हेतु भवन निर्माण विभाग को भेजा गया है।

  विमर्शोपरांत निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु परामर्शी का चयन कर प्रस्ताव तैयार कराया जाय।

अनुपालनः–मुख्य वास्तुविद्

- बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली के निर्माण कार्य की समीक्षा के उपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए :–
  a. परिसर के सुरक्षा हेतु CCTV का अधिष्ठापन दिनांक 10.07.2026 तक करना सुनिश्चित किया जाय।
  b. भवनों में A.C. लगाने एवं जहां ए.सी. लग चुके हैं, उन्हें यथाशीघ्र कार्यरत कराना सुनिश्चित किया जाय।
  c. परिसर के दर्शकों के बैठने हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर पत्थर के बेंच अधिष्ठापित किये जाएं।
  d. स्तूप के चारो ओर निर्मित लीली पाउण्ड एवं सेरिमोनियल वाटर वॉडी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान किया जाय एवं इसमें लगे वाटर फाउण्टेन को क्रियाशील किया जाय।
  e. स्मृति स्तूप के प्रथम तल पर जाने वाले रास्ते पर पत्थर से निर्मित रेलिंग की सुरक्षा हेतु उचित सामग्री का रेलिंग का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय।
  f. स्मृति स्तूप के सामने स्थित वट वृक्ष के निकट शू स्टैंड के निर्माण का कार्य किया जाय।
  g. स्तूप के प्रथम तल पर प्रदर्शित भगवान बुद्ध के स्मृति अवशेष की सुरक्षा हेतु निर्मित बुलेट प्रूफ्र ग्लास के चारो ओर एक और सीसे का आवरण लगाया जाय तथा इसमें सुरक्षा हेतु सेंसर लगाने का प्रावधान किया जाय।
  h. संग्रहालय के अन्दर शौचालय में अनावश्यक खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद करा दिया जाय।
  i. विद्युत खर्च को कम करने के लिए रात्रि में अपातकालीन लाईट को छोड़कर बाकी लाईट को Controller एवं Timer के माध्यम से रात्रि में बन्द करने की व्यवस्था की जाय।

अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0–2

- प्रशासी विभाग के अनुरोध पर प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मति एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी भवन निर्माण विभाग की है। प्राचीन एवं ऐतिहासिक भवनों का रख–रखाव एक विशेष प्रकृति का कार्य है, जिसके लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी अभियंताओं की आवश्यकता है।

  निदेश दिया गया कि कुछ अभियंताओं का चयन किया जाय तथा इन्हें उचित संस्थान में भेजकर प्रशिक्षित किया जाय। इससे विभाग के कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तथा ऐतिहासिक भवनों का रख–रखाव आसानी से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अनुपालनः–वरीष्ठ परियोजना अभियंता

- सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि किसी भी योजना में यदि जमीन से संबंधित विवाद हो तो जिला पदाधिकारी एवं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी से तुरंत सम्पर्क कर अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः–सभी कार्यपालक अभियंता

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

- निदेशक, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि दरभंगा, गया, बेगूसराय, सारण तथा मुंगेर में निर्मित प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी में सीपेज आदि की समस्या आ रही है। इस कारण इसके इन भवनों के छत आदि में खराबी उत्पन्न हो गई है।

  निदेश दिया गया कि निगम मुख्यालय स्तर से किसी वरीय पदाधिकारी को भेजकर उपरोक्त 05 प्रेक्षा गृह–सह–आर्ट गैलरी का शीघ्र स्थल निरीक्षण कराया जाय तथा त्रुटि निराकरण हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित की जाय। उक्त निरीक्षण में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को भी शामिल किया जाय।

  अनुपालन :–मुख्य महाप्रबंधक, बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- कालिदास रंगालय, पटना के उन्नयन कार्य से संबंधित पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्रशासी विभाग को भेजा गया है। प्रशासी विभाग द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक स्वीकृति की कुल राशि यानि लगभग 13 करोड़ के अनुसार पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भेजी जाय।

  निदेशित किया गया कि विमर्शानुसार पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

  अनुपालन :–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (दक्षिण), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- बाबा कारु खिरहर संग्रहालय, सहरसा के निर्माण योजना के संदर्भ में निदेशित किया गया कि Final Design and Drawing का प्रस्तुतीकरण सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग के समक्ष की जाय।

  अनुपालन :–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (परामर्शी), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- नारद संग्रहालय, नवादा निर्माण योजना के संदर्भ में निदेशित किया गया कि परामर्शी चयन की प्रकिया में तीव्रता लाई जाये तथा भवन निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर ससमय कार्य पूर्ण कराया जाय।

  अनुपालनः–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (दक्षिण / परामर्शी), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- ताराडीह, बोध गयाजी के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम संरक्षण का कार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया जाय। थीम पार्क निर्माण कार्य को तत्काल स्थगित रखा जाय।

  अनुपालनः–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (परामर्शी), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- लालपहाड़ी, लखीसराय में पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण एवं विकास योजना के समीक्षा के उपरांत निदेशित किया गया कि कार्य की प्रगति की लगातार समीक्षा एवं अनुश्रवण निगम मुख्यालय स्तर से करना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही निर्माण कार्य ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाय।

  अनुपालनः–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (दक्षिण), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

- तेल्हाड़ा संग्रहालय की समीक्षा के कम में निदेशित किया गया कि शो–केस एवं पैडेस्टल निर्माण से संबंधित नक्शा तथा प्राक्कलन शीघ्र कला एवं संस्कृति विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

  अनुपालन :–मुख्य महाप्रबंधक तथा महाप्रबंधक (परामर्शी), बि0रा0भ0नि0नि0लि0

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह0 / –

(प्रणव कुमार)
सचिव

ज्ञापांक– डी०डी०-1-वि०-49/05/2025-26(पा०ई०-VII) 6246(अ)3 दिनांक– 9/7/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

9.7.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव